कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने देखी शहर की यातायात व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों का सघन निरीक्षण किया गया।

इस संयुक्त भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने पॉलिटेक्निक चौराहा, डिपो चौराहा, स्मार्ट सिटी मार्ग तथा बागसेवनिया चौराहे पर पहुंचकर धरातलीय स्थिति का जायजा लिया।

लेफ्ट टर्न को बाधारहित बनाने पर विशेष बल

कलेक्टर मिश्रा ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न चौराहों पर 'लेफ्ट टर्न' (बाएं मोड़) को पूरी तरह बाधारहित और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौराहों पर वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे व्यस्ततम समय के दौरान भी यातायात अवरुद्ध न हो। इसके साथ ही उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग, आवश्यक संकेतक और यातायात नियमों के पालन हेतु उचित प्रबंध करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।

कलेक्टर मिश्रा एवं पुलिस कमिश्नर कुमार ने स्मार्ट सिटी क्षेत्र और डिपो चौराहे का भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और यातायात पुलिस के आपसी समन्वय से इन चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर अविलंब सुधार कार्य प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सके।

फायर सेफ्टी में खामियाँ : छह कोचिंग संस्थान सील

भोपाल। नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए शुक्रवार को छह शिक्षण संस्थानों को सील कर दिया। जांच के दौरान निर्धारित फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लालघाटी और इंद्रपुरी क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पूर्व में जारी नोटिसों के अनुपालन की भी समीक्षा की।

जांच के दौरान लालघाटी स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट में आपातकालीन सीढ़ियों का अभाव, फायर हाइड्रेंट पैनल के ऑटो मोड में नहीं होने और उसे अलग जनरेटर से नहीं जोड़े जाने जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इसके बाद भवन खाली कराकर उसे सील कर दिया गया।

इसी तरह इंद्रपुरी स्थित गोयल टॉवर में संचालित अय्यूब खान कोचिंग, श्रेयांश कोचिंग, कीर्तिमान अकादमी, एब्सिल्यूट इंस्टीट्यूट और एनआईटीडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में भी फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन पाया गया। निरीक्षण में भवन में आपातकालीन सीढ़ियां नहीं मिलीं, अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त पाई गई तथा पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं थी। नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अनुरूप सुरक्षा प्रबंध नहीं मिलने पर इन सभी संस्थानों को खाली कराकर सील कर दिया गया।

नगर निगम के अनुसार, इन संस्थानों को 25 जून 2026 को अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद आवश्यक सुधार नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

नरेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से संवाद किया।

उन्होंने विभिन्न जनसमस्याओं को सुनकर कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। जिन समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी प्रकरणों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

एमवीएम के खेल मैदान पर मेट्रो स्टेशन बनाने का विरोध

पूर्व छात्र नेताओं ने वैकल्पिक स्थान की मांग उठाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय (एमवीएम) के खेल मैदान पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन निर्माण का पूर्व छात्र नेताओं ने विरोध किया है। विभिन्न महाविद्यालयों के पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारियों और छात्र नेताओं ने सरकार से मांग की है कि मेट्रो स्टेशन और अन्य गतिविधियों के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए तथा महाविद्यालय के खेल मैदान को सुरक्षित रखा जाए।

पूर्व छात्र नेताओं का कहना है कि मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल के प्रमुख महाविद्यालयों में शामिल है और यह शहर का ऐसा प्रमुख कॉलेज है, जहां विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। इस मैदान का वर्षों से खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण और अन्य खेल गतिविधियों के लिए उपयोग होता रहा है। उनका तर्क है कि यदि इस भूमि का उपयोग मेट्रो स्टेशन, पार्किंग या अन्य निर्माण कार्यों के लिए किया गया तो विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि महाविद्यालय की कुछ भूमि पहले ही विभिन्न सरकारी

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है, जिससे परिसर का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि भोपाल में टीटी नगर, ऐशबाग और बॉबे अली स्टेडियम जैसे सीमित बड़े खेल परिसर हैं। ऐसे में कॉलेज के खेल मैदान का संरक्षण आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।

पूर्व छात्र नेताओं ने शासन से मांग की कि खेल मैदान पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और मेट्रो स्टेशन के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थल का चयन किया जाए। इस मांग का समर्थन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, हमीदिया महाविद्यालय, एमएलबी कॉलेज, नूतन कॉलेज, सेफिया कॉलेज तथा अन्य संस्थानों के अनेक पूर्व छात्र नेताओं और एलुमिनी प्रतिनिधियों ने किया।

ट्विशा शर्मा मामलाः कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लैपटॉप पासवर्ड और वॉइस सैंपल देने पर आरोपी पक्ष सहमत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अभिनेत्री-मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को भोपाल जिला कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जिसमें आरोपी पक्ष ने सीबीआई को लैपटॉप का पासवर्ड सौंपने और एक विशेष शर्त के साथ वॉइस सैंपल देने पर सहमति दे दी है।

जिला कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के वकील ने सीबीआई की पिछली मांगों पर अपना रुख स्पष्ट किया। सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ सिंह के लॉक्ड लैपटॉप का पासवर्ड और दोनों आरोपीों के वॉइस सैंपल की मांग की थी। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लैपटॉप का पासवर्ड सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है। वहीं, वॉइस सैंपल देने पर भी सहमति जताई गई लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त रखी गई कि वॉइस सैंपल की

एक मूल कॉपी को पूरी तरह सुरक्षित रूप से सीधे कोर्ट के रिकॉर्ड में भी जमा कराया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला 6 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने अदालत को अवगत कराया था कि मामले की तह तक जाने, डिजिटल साक्ष्यों का मिलान करने और जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारीक विश्लेषण के लिए लैपटॉप का पासवर्ड और वॉइस सैंपल बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जांच एजेंसी समर्थ सिंह को पहले ही रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ कर चुकी है और अब उसका पूरा ध्यान फॉरेंसिक व तकनीकी साक्ष्य मजबूत करने पर है। शुक्रवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने इन्हीं बिंदुओं पर अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं, जिसके बाद अब 6 जुलाई को आने वाले कोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई अपनी आगे की फॉरेंसिक जांच प्रक्रिया शुरू कर सकेगी।

मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आरोपी पक्ष के एडवोकेट अंकुर पांडे ने कोर्ट को बताया कि ट्विशा की पहली और दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपियां हासिल करने के लिए उनकी ओर से एक आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन पर शुक्रवार को यूनियन ऑफ इंडिया के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत से थोड़ा समय मांगा। सरकारी वकील ने दलील दी कि एम्स अस्पताल से इस मामले की पूरी विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट मिलने के बाद ही वे अपना आधिकारिक जवाब तैयार कर पाएंगे, जिसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है। अदालत ने सीबीआई और सरकारी पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए आगामी 14 जुलाई तक का समय दे दिया है।

25 से होगी अग्निवीर सेना भर्ती रैली

नप्र, भोपाल : जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में शुक्रवार को राजधानी स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों के संबंध में समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे एवं सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल जयशंकर सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने भर्ती रैली के महत्व और संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध एवं प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

माह का प्रादर्शः पारंपरिक पीतल के 'खाना डिब्बा' का उद्घाटन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में शुक्रवार को 'माह का प्रादर्श' श्रृंखला के अंतर्गत बिहार के मधुबनी जिले से संकलित पारंपरिक पीतल निर्मित 'खाना डिब्बा' (ब्रास टिफिन कैरियर) का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

इस अवसर पर संग्रहालय के निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे ने कहा कि संग्रहालय का उद्देश्य केवल प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण करना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी लोक परंपराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को समाज के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत करना भी है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रो. शिवप्रसाद रामभटला और प्रो. सुनीता रेड्डी का स्वागत किया गया। प्रादर्श का परिचय देते हुए संग्रहालय के सहायक कीपर श्रीकांत ने बताया कि यह पारंपरिक टिफिन तीन समान आकार के पीतल के पात्रों से मिलकर बना है, जिन्हें विशेष लॉकिंग रॉड से मजबूती से बंद किया जाता है। इसमें दाल, चावल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखे जाते थे। मजबूत हैंडल होने के कारण इसे खेतों, यात्राओं और दैनिक आवागमन के दौरान भोजन ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। उन्होंने बताया कि इस टिफिन का निर्माण पीतल की चादर को काटकर, हथौड़ी और विशेष सांचों की सहायता से आकार देकर किया जाता है। यह भारतीय धातु शिल्प और पारंपरिक कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रामीण और शहरी परिवारों में इसका उपयोग भोजन सुरक्षित रखने के साथ धार्मिक यात्राओं, मेलों और पारिवारिक आयोजनों में भी व्यापक रूप से होता रहा है।

संग्रहालय के जनसंपर्क अधिकारी हेमंत बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि 'माह का प्रादर्श' श्रृंखला के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों से संकलित दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहरों को आमजन के सामने प्रदर्शित किया जाता है।

कर्मचारी संगठनों का नई ईपीएफ योजना पर विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार की नई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना-2026 का विरोध करते हुए इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई और मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से नई व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है। दोनों नेताओं का कहना है कि नई योजना के तहत कर्मचारियों को कम अंशदान का विकल्प दिए जाने से तत्काल वेतन तो कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली भविष्य निधि की राशि में भारी कमी आएगी। उनका दावा है कि वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन का 12-12 प्रतिशत अंशदान करते हैं, जबकि नई व्यवस्था में वेतन सीमा के आधार पर अंशदान सीमित होने से कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा होने वाली राशि काफी घट जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था से उद्योगों और नियोक्ताओं का वित्तीय भार कम होगा, जबकि कर्मचारियों को दीर्घकाल में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से वेतन सीमा समाप्त कर वास्तविक वेतन के आधार पर समान अंशदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्था इससे विपरीत दिशा में जाती दिखाई देती है। संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 की समीक्षा कर वेतन सीमा समाप्त की जाए तथा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान वास्तविक वेतन के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि भविष्य निधि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है। कर्मचारी संगठनों ने संकेत दिया कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो देशभर में इस विषय पर व्यापक विरोध दर्ज कराया जाएगा।

बारह घंटे पेड़ पर बैठा रहा युवक रेस्क्यू के दौरान 25 फीट नीचे गिरा

पुलिस और नगर निगम की टीम रातभर करती रही मशक्कत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित आरिफ नगर में गुरुवार देर रात शुरू हुआ एक हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार दोपहर हादसे में बदल गया। 12 घंटे तक एक युवक पेड़ पर बैठा रहा।

पुलिस और नगर निगम की रेस्क्यू टीम उसे सुरक्षित नीचे उतारने का लगातार प्रयास करती रही, लेकिन अभियान के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

गुरुवार रात करीब 12 बजे युवक अचानक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही निशातपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतरने के

लिए काफी देर तक समझाइश देती रही, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। जो भी उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता, वह हाथ में डंडा लेकर उसे दूर भगाने का प्रयास करता था। स्थिति को देखते हुए नगर निगम की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। क्रेन की मदद से कई बार युवक तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर प्रयास को विफल करता रहा। शुक्रवार सुबह भी रेस्क्यू अभियान जारी रहा।

शाखा बदलते समय बिगड़ा संतुलनः रेस्क्यू के दौरान युवक पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह करीब 25 फीट नीचे आ गिरा। मौके पर मौजूद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया।

परिजनों की तलाश

निशातपुरा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि घायल युवक अपनी पहचान केवल 'सोनारे' नाम से बता पा रहा है। वह नागपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सिर में गंभीर चोट होने के कारण उससे विस्तृत पूछताछ नहीं हो सकी है। पुलिस उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक पेड़ पर क्यों चढ़ा था ।

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काष्ठकलां औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित रेहटवास, बेगमगंज, जिला रायसेन

(पंजी. क्र. /120दिनांक 28.07.1961)
क्रमांक/रजि. अ./2026/02
दिनांक 03/07/2026

सूचना

सूचित किया जाता है कि, संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, रायसेन, विकास खण्ड बेगमगंज, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा-बेगमगंज, रायसेन के सूचना पटल पर दिनांक 03/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 03/07/2026 से दिनांक 09/07/2026 तक मुझे कार्यालयीन समय में दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला-रायसेन में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला-रायसेन में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जावेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

सौरभ राजपूत,
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
काष्ठकलां औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित रेहटवास, बेगमगंज, जिला रायसेन

798

न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

डी ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल
अपील प्र.क्र. 0130/अपील/2025-26/280
भोपाल, दिनांक : 03.07.2026

[illegible]

आदेश-5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

:: सूचना पत्र ::

[illegible]

(भारती देवी मिश्रा)
उपायुक्त, राजस्व, भोपाल संभाग, भोपाल

797

न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

डी ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल
अपील प्र.क्र. 0131/अपील/2025-26/281
भोपाल, दिनांक : 03.07.2026

[illegible]

आदेश-5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

:: सूचना पत्र ::

[illegible]

(भारती देवी मिश्रा)
उपायुक्त, राजस्व, भोपाल संभाग, भोपाल

796

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्टार एवेन्यू रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक / डी.आर.बी./1434, दिनांक 28.12.2019)
क्रमांक/निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक- 03.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन / विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा गुलमोहर (बावडियाकलां), भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 03/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 03/07/2026 से 10/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 11/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(रश्मि चंदानी)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्टार एवेन्यू रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

795

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
सिविल न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बैरसिया भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/9/2026
श्रीमती ममता साहू बनाम लीलाराम
NEXT DATE :27-07-2026

प्रेषिती, लीलाराम नन्नूलाल पता- वार्ड नं. 15 मेनरोड़ बैरसिया, जिला भोपाल म.प्र. **यह कि प्रार्थी** ममता साहू ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/9/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 23-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती विभा आर्य, न्यायाधीश
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

794

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
सिविल न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बैरसिया भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/152/2025
गेंदालाल साहू बनाम लीलाराम साहू
NEXT DATE :27-07-2026

प्रेषिती, लीलाराम S/O नन्नूलाल पता- वार्ड नं. 15 मेनरोड़ बैरसिया, जिला भोपाल म.प्र. **यह कि प्रार्थी** गेंदालाल साहू ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/152/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 23-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती विभा आर्य, न्यायाधीश
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

793

कार्यालय राजस्व निरीक्षक ग्राम खजरी कलॉ प.ह.नं. 100 नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

कमांक/Q/रा.नि./2022 भोपाल
दिनांक 30/06/2026
प्रकरण क्रमांक-/31-12/2026-27

सूचना पत्र

1. बहारी लाल- 8982335 393 2. श्री सोम शाह- 9827069154 3. श्री सरला स्टेट-9165570870 **विषयः-** भूमि का सीमांकन करने बाबत। उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक अच्छेलाल पाल पिता/पति श्री नरोत्तम पाल निवासी खजूरी कला ने खसरा क्रमांक 292/1/1/1/1 रकबा. 0.0186 है. स्थित ग्राम खजूरी कला तहसील नजूल वृत्त एमपी नगर जिला भोपाल में सीमांकन हेतु आवेदन दिया था। उपरोक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 07/07/26 को प्रातः 12 बजे किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पड़ोसी कृषक होने के कारण आपको सूचित किया जाता है। कि आप सीमांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोटः-** अपरिहार्य कारण कि वजह से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एमपी नगर जिला भोपाल

792

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ख्वाजा कालोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /483, दिनांक 20.03.1986)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भोपाल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा मोतिया पार्क, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/7/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

सपना गुहा,
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ख्वाजा कालोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

791